5. महिला अध्ययन विभाग

एन.सी.ई.आर.टी. विभिन्न स्तरों पर नीतियों और पाठ्यचर्या की रूपरेखा सहित अनेक अंत:क्षेपी उपायों के जरिए बालिकाओं की शिक्षा और उनके जीवन स्तर को सुधारने, शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं के साथ बरते जाने वाले भेदभाव को मिटाने तथा बालिकाओं की संभावित क्षमता का विकास करने के लिए समाज में उनके अनुकूल सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बालिकाओं की शिक्षा अब केवल एक नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं रही है, बल्कि इसे अब मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा है। महिला अध्ययन विभाग संवैधानिक उपबंधों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986, कार्यवाही संबंधी कार्यक्रम 1992, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. और बाल अधिकार (1990) की रूपरेखा के भीतर बालिकाओं की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विभाग के दायित्वों में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी कार्यक्रमों को हाथ में लेना, उन्हें बढ़ावा देना और राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना शामिल है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं इन भांति-भांति के क्रियाकलापों के द्वारा संपन्न की जाती हैं, जैसे– कार्यवाही के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, पाठ्यचर्या और अध्यापन-अधिगम सामग्री का फिर से रूपांकन, प्रशिक्षण और सुसंगत पक्षों पर कार्य-परियोजनाएं चलाना और नेटवर्क स्थापित करना। विभाग की संकल्पना है कि आज की अच्छी जानकार, शिक्षित तथा समान व्यवहार प्राप्त बालिका कल की एक सशक्त महिला होगी।

महिला अध्ययन विभाग के दीर्घावधिक और अल्पावधिक लक्ष्य तथा उन्हें प्राप्त करने की रणनीतियां हैं। यह विभाग बालिकाओं की शिक्षा और क्षमता निर्माण के विभिन्न पक्षों पर केंद्र के प्रति सलाहकार की भूमिका अदा करता है। यह राज्यों तथा गैर-सरकारी संगठनों को ऐसी नीतियां और कार्यक्रम निष्पादित करने में अकादमिक सहायता देता है, जिनमें बालिकाओं के लिए योजनाओं पर विशेष बल दिया गया हो। विभाग ने अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी क्रियाकलापों के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में किए गए संशोधनों के साथ) और तत्संबंधी कार्यवाही के कार्यक्रम के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अभी हाल में विभाग बालिका शिक्षा और सामान्य विद्यालय प्रणाली के विषय में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय रूप से संलग्न रहा था।

लैंगिक मुद्दों से संबंधित कार्यानुसंधान पर ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रतिभागी

इसके अलावा, विभाग ने ''शिक्षा में लैंगिक मुद्दे'' विषय पर आधार-पत्र तैयार करने में योगदान दिया, जिसका उपयोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) तैयार करने में किया गया। विभाग ने लैंगिक परिप्रेक्ष्य से माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में, ग्यारहवीं योजना तैयार करने के कार्य में भी अत्यंत उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की। सर्वशिक्षा अभियान और महिला समाख्या कार्यक्रमों के संदर्भ में भी, ग्यारहवीं योजना के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के विषय पर नियुक्त उप-समूह के माध्यम से योगदान दिया।

इस वर्ष, विभग के क्रियाकलापों का जोर ग्रामीण बच्ची के कल्याण पर रहा। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापक प्रशिक्षकों को ही कार्यानुसंधान संबंधी प्रशिक्षण के लिए चुना गया। फलस्वरूप, ग्रामीण बच्चियों के उत्थान की कार्यानुसंधान परियोजनाएं, देश के अनेक जिलों में प्रारंभ की जाएंगी। इसके अलावा, विभाग इस वर्ष तैयार की गई एन.सी.ई.आर.टी. की नई पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपियों की समीक्षा इस दृष्टि से करता रहा कि कहीं उनमें किसी लिंग-विशेष के प्रति कोई खास झुकाव या पक्षपात अथवा पुराना रूढ़िवादी दृष्टिकोण तो नहीं है। संकाय ने कक्षा VII के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक तैयार करने के कार्य में भी योगदान दिया। ''अपरंपरागत भूमिकाओं में महिलाएं'' विषयक परियोजना के अंतर्गत, महिला पुरोहितों के बारे में एक छोटी फिल्म तैयार की गई है।

विभाग की संकल्पना यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बालिका अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करे; विभिन्न मोर्चों पर जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो और कार्यात्मकता के सही अर्थ में सशक्त हो, जहां वह सोच समझकर चुनाव कर सके और बिना भयभीत हुए कार्रवाई कर सके।

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग के प्रमुख क्रियाकलाप

अनुसंधान

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं की वस्तुस्थिति का अध्ययन

यह परियोजना सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, जैसे– मध्याह्न भोजन, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, वरदी और छात्र वृत्तियां देने की योजनाओं की वस्तुस्थिति का अध्ययन करने, उनके कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गई थी। इस संदर्भ में तीन राज्यों, यानी त्रिपुरा, सिक्किम और मणिपुर का दौरा किया गया। प्रत्येक राज्य से दो जिले क्षेत्रगत कार्य के लिए चुने गए। नमूने के प्रत्येक जिले में डाटा संग्रह के लिए दो प्रारंभिक विद्यालय विनिर्धारित किए गए। कार्य विधि के अंतर्गत प्रधानाचार्यों, कक्षा V और VIII में पढ़ने वाली अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं और उनके माता-पिता/अभिभावकों के साक्षात्कार लिए गए। राज्य के अधिकारियों, प्राधानाचार्यों, अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं और उनके माता-पिताओं के साथ सामूहिक चर्चाएं की गईं। परिणामों से पता चला कि इन चुने हुए राज्यों में चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन में काफी अंतर है। प्रत्येक नमूना राज्य में मध्याह्न भोजन की आपूर्ति का तरीका अलग-अलग है। छात्राओं को मुफ्त लेखन-सामग्री देने की योजना केवल सिक्किम में ही प्राथमिक स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। किंतु, त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं को पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं जबकि मणिपुर और सिक्किम में छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सरकारी सहायता (सब्सिडी) दी जाती है। सिक्किम में उन्हें मुफ्त वरदी दी जाती है, तथापि मणिपुर में वरदी मुफ्त नहीं दी जाती लेकिन त्रिपुरा में छात्रों को 40-45 रु. की नकद राशि दी जाती है। सिक्किम सरकार अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक छात्रों को क्रमशः 360 रु. और 480 रु. छात्रवृत्ति के रूप में देती है। इसके

सरकार की कार्यक्रम प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के अभिभावकों का साक्षात्कार

अलावा, कुछ और चीजें भी जैसे स्वेटर, रेनकोट और थैले आदि प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं।

तथापि, उपर्युक्त तीनों राज्यों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना और निशुल्क पाठ्यपुस्तक योजनाओं को सर्वाधिक प्रभावशाली योजनाएं माना गया है। उनका अनुवीक्षण (मानीटरिंग) एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। सामान्य मत यह था कि प्रोत्साहन योजनाएं बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण को सुधारने में आमतौर पर प्रभावकारी साबित हुई हैं। उनकी प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए।

विकास

''भारत की महिलाएँ : अपरंपरागत भूमिकाओं में'' –एक फिल्म

महिलाएँ रोजगार के सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से रूढ़िबद्ध बंधनों को तोड़कर रोजगार के नए-नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। अनेक महिलाओं ने नए रास्ते अपना लिए हैं और अपरंपरागत कार्यक्षेत्रों में घुसने का साहस कर रही हैं। ऐसी महिलाओं और उनके योगदान के बारे में आम लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए इस संबंध में एक संसाधन सामग्री तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। इससे पहले अपरंपरागत व्यवसाय क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों के विषय में संसाधन सामग्री तैयार करने की एक परियोजना हाथ में ली गई थी। इसमें ऐसी 35 महिलाओं के जीवन चरित्र दिए गए थे जिन्होंने नई-नई भूमिकाएं अपनाई थीं। यह सामग्री प्रकाशनार्थ तैयार है। इस योजना में, विशेष उपलब्धियों वाली कुछ महिलाओं के विषय में दृश्य-श्रव्य फिल्म/फिल्में तैयार करने का कार्य भी शामिल था। इस संदर्भ में पुणे में चार महिला पुरोहितों के साक्षात्कार लिए गए। इसके अलावा, प्रत्येक महिला पुरोहित ने एक संस्कार या धार्मिक कर्मकांड संपन्न करके दिखाया और ऐसे चार संस्कारों अर्थात् उपनयन, श्राद्ध वास्तु और विवाह की रेकार्डिंग की गई। इस प्रकार इस परियोजना के अंतर्गत महिला पुरोहितों पर एक लघु फिल्म तैयार की गई है।

प्रशिक्षण और विस्तार

अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए कार्यानुसंधान पर ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए कार्यानुसंधान पर ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए 23 नवंबर से 20 दिसंबर 2006 तक एक चार-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दो मुख्य घटक थे : पहला, ग्रामीण परिवेश को दृष्टिकोण रखते हुए अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के प्रति प्रशिक्षणार्थियों को संवेदनशील बनाना; और दूसरा, उन्हें अपनी विशिष्ट कार्य-स्थितियों में कार्यानुसंधान हाथ में लेने के लिए तैयार करना। 15 राज्यों और 29 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 32 प्रशिक्षणार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कुछ निर्धारित विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए गए, कार्यानुसंधान संबंधी प्रस्ताव तैयार किए गए और एक प्रायोगिक अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन का मुख्य प्रयोजन ग्रामीण अनूसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित विशिष्ट समस्याओं से संबंधित रणनीतियों और अंत:क्षेपों की जांच करना और प्रशिक्षणार्थियों में उनके कार्य स्थलों की दृष्टि से सुसंगत क्षमता का निर्माण करना था। प्रशिक्षण की कार्य विधि में सतत अन्योन्यक्रिया/संपर्क, विचारोत्तेजक व्याख्यान एवं चर्चा, सामूहिक कार्य, सौंपे गए व्यक्तिगत कार्य, वीडियो देखना और चर्चा करना, केस अध्ययन और क्षेत्रगत दौरे शामिल थे। प्रायोगिक अध्ययन के बाद प्रशिक्षणार्थियों के कार्यानुसंधान संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, ताकि वे

कार्यानुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। यह आशा की गई कि भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी अपने कार्यस्थलों पर जाकर परियोजना पूरी कर लेंगे। वर्ष 2007-08 के दौरान एक अनुवर्ती चर्चा-कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, सहभागियों ने अपने-अपने जिलों और राज्यों में अनुसूचित जाति की बालिकाओं से संबंधित शैक्षिक और सामाजिक निर्देशकों के परिस्थितिगत विश्लेषण पर स्थितिसूचक शोध-पत्र प्रस्तुत किए।

गिरते हुए यौन अनुपात (नारी भ्रूण हत्या) पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम : चिंताएँ और रणनीतियाँ

विभाग ने 28 फरवरी से 2 मार्च 2007 तक अपने एन.आई.ई. कैंपस में एक तीन-दिवसीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 52 वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, डाक्टरों, नीति-निर्माताओं और प्रशासकों, जनसंचार माध्यमों से संबंधित व्यक्तियों, अधिवक्ताओं, धार्मिक नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने नारी भ्रूण हत्या के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया। इस परामर्श कार्यक्रम मे निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया :

1. नारी भ्रूण हत्या-यौन अनुपात गिरने के प्रमुख कारक : एक आलोचनात्मक विश्लेषण।
2. कानूनी पहलू : कार्य अधिनियम तथा अंतराल और सुझाए गए कार्य बिंदु।
3. चिकित्सकीय पहलू : नैतिकता, वास्तविकता और अंत:क्षेपी रणनीतियां।
4. सामाजिक पहलू : प्रयत्न, अंत:क्षेप और भविष्यवादी रणनीतियां
5. शैक्षिक पहलू : वास्तविकता और संभावना
6. मीडिया की भूमिका : एक आलोचनात्मक विश्लेषण और संभव अंत:क्षेप
7. राजनीतिक पहलू : अंत:क्षेप और प्रतिबद्धताएं
8. धार्मिक पहलू : तथ्य और कार्य

गिरते हुए यौन अनुपात के राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में भाग ले रहे शिष्टमंडल के सदस्य

भावी कार्य-प्रक्रिया का विनिर्धारण करने के लिए एक विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया गया। इस समस्या के भिन्न-भिन्न आयामों से संबद्ध व्यक्तियों को साथ लेकर नारी भ्रूण हत्या की घटनाओं को रोकने, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने और समुचित कारवाई करने के लिए एक सहायता-संघ (कंसोर्टियम) बनाने की आवश्यकता महसूस की कई। भिन्न-भिन्न धर्मों को भी अपने उपदेशों के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। इसलिए यह सिफारिश की गई कि लैंगिक परिप्रेक्ष्य से भिन्न-भिन्न धर्मों के बारे में शास्त्रार्थ कराए जाने की जरूरत है। गिरते हुए शिशु यौन अनुपात को ठीक करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, जन्म के समय यौन-अनुपात और शिशु मृत्युदर में लैंगिक अंतर को स्वास्थ्य और लैंगिक समता सूचकों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अल्ट्रा-साउंड क्लिनिकों (सोनोग्राफिक केंद्रों) की लेखा परीक्षा की जाने की भी सिफारिश की गई है। सरकार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करे कि निजी और सरकारी चैनल सुसंगत संदेश/कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कुछ समय अवश्य निर्धारित करें। इस परामर्श के कार्यक्रम के बाद जागरूकता अभियान चालू किए जाएंगे।

अन्य अभिकरणों (जैसे एस.सी.ई.आर.टी., एस.आई.ई.टी. और विश्वविद्यालय तथा गैर-सरकारी संगठन) के साथ विभाग का सहयोग

'रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमैन 1875-1947 : ए विजुअल डॉक्युमेंटरी' पर एक प्रदर्शनी

इस योजना के अंतर्गत देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शनियों की एक शृंखला आयोजित की जानी थी। गत वर्ष ऐसी ही एक प्रदर्शनी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में आयोजित की गई थी। उसी की शृंखला में, इस वर्ष विभाग ने महिला विकास अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल के सहयोग से एक प्रदर्शनी भोपाल में उस्ताद अमजद अली खान कला परिषद् के परिसर में लगाई। इस प्रदर्शनी में भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के महिलाओं के दुर्लभ प्रदर्श प्रस्तुत किए गए। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भोपाल के भिन्न-भिन्न विद्यालयों के अध्यापक तथा छात्र और अन्य विख्यात व्यक्ति इसे देखने आए। दर्शकों ने प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलन में भारतीय स्त्रियों के योगदान को दर्शाने वाले प्रदर्शों के सुंदर एवं सुव्यवस्थित दृश्य चित्रण की भूरि-भूरि प्रशंसा की। प्रदर्शों में यह भी चित्रित किया गया था कि सामाजिक सुधारवादी परिवारों में स्त्रियों की शिक्षा ने उनके व्यक्तिगत जीवन में कितना परिवर्तन ला दिया था। ऐसे प्रदर्शों से अभिप्रेरित होकर अध्यापकों तथा छात्रों ने तत्संबंधी विषयों पर छोटी-छोटी परियोजनाएं तैयार करने की इच्छा अभिव्यक्त की। यह प्रदर्शनी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर में भी आयोजित की गई।

समवेत/विशेष शिक्षा कार्यक्रम

विभाग ने ''बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, शहरी सुविधावंचित बच्चों और विकलांग बच्चों सहित सभी असुविधाप्राप्त समूहों की शिक्षा विषयक उपमिशन कार्यबल की बैठक'' में योगदान दिया।

छात्रवृत्तियाँ और पुरस्कार

महिला अध्ययन विभाग के एक संकाय सदस्य को ''लिंग और शांति : नीति, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें, 'सार्क' क्षेत्र में'' विषय पर मालदीव में अनुसंधान करने के लिए एशियन फोर्ड फाउंडेशन द्वारा एशियन फैलोशिप प्रदान की गई।

एन.सी.ई.आर.टी. के भीतर और बाहर के कार्यक्रमों में योगदान

विभाग के संकाय सदस्यों ने परिषद् और अन्य राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें से कुछ कार्यक्रम नीचे गिनाए जा रहे हैं :

- लैंगिक अभिनति/झुकाव और लैंगिक रूढ़िबद्धता के दृष्टिकोण से एन.सी.ई.आर.टी. की अनेक पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की; जैसे– पर्यावरण अध्ययन कक्षा IV, विज्ञान कक्षा VII और X, गणित कक्षा VII, X और XII, भौतिक विज्ञान, जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान कक्षा VII।
- कक्षा VII के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक तैयार करने में योगदान दिया।
- प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर छात्र के आकलन के विषय में स्रोत पुस्तक तैयार करने में योगदान दिया।
- डी.ई.पी.एफ.ई. द्वारा 'अनुसूचित जाति के छात्रों के मनो-सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अध्यापकों के लिए तैयार किए जाने वाले विनिबंध (मोनोग्राफ) के विषयों तथा शिक्षण रणनीतियों के विकास में योगदान दिया।
- विभाग के संपूर्ण संकाय ने 'एडुसैट' सुविधा का उपयोग करते हुए, टेलीकान्फरेंसिंग के माध्यम से, 'एन.सी.एफ. 2005 के आलोक में शिक्षा में लैंगिक मुद्दे' विषय पर भिन्न-भिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की डी.आई.ई.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया।
- एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया द्वारा रीविजिट इंडियन एजुकेशन-विज़न 2020 विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन में ''शिक्षा में लैंगिक अंतराल पाटना विषय पर सत्र का आयोजन।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के विषय में उत्तर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम के लिए ''महिलाएं और शिक्षा'' विषय पर सत्र का आयोजन। बालिकाओं तथा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में अनेक महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गईं और बालिकाओं की शिक्षा और सामान्य विद्यालय प्रणाली के विषय में 'केब' समिति की सिफारिशें भी प्रस्तुत की गईं।
- सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सी.सी.आर.टी.), द्वारका, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''लिंग और संस्कृति'' विषय पर भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षकों और अध्यापकों को संबोधित किया गया।
- दिल्ली की डी.आई.ई.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं द्वारा आयोजित दिल्ली के विद्यालयी अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ''लिंग, समाजीकरण और कक्षागत प्रक्रियाएं'' और ''प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापन अधिगम सामग्री का विकास'' विषयों पर अध्यापकों को संबोधित किया गया।
- एच.आई.पी.ए., हरियाणा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ''उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतराल, बाल अधिकार और मानव अधिकार शिक्षा एवं जागरूकता'' विषय पर अध्यापक प्रशिक्षकों और अध्यापकों को संबोधित किया गया।

संकाय की ओर से प्रमुख योगदान

प्रो. पूनम अग्रवाल, *विभागाध्यक्ष* ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण विषय पर दस्तावेज तैयार करने के लिए लैंगिक परिप्रेक्ष्य से योगदान दिया। उन्होंने गिरते हुए यौन अनुपात पर राष्ट्रीय परामर्श, सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं की वस्तुस्थिति का

अध्ययन और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापिकाओं की स्थिति पर गहराई से अध्ययन जैसे कार्यक्रमों में योगदान दिया। वे एक पैनल सदस्य रहीं और उन्होंने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के विषय में उत्तर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम के दौरान एक सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 'प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार'' विषय पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान ''बालिकाओं का नामांकन बढ़ाना'' विषय पर सत्रों की अध्यक्षता की और सामाजिक विकास परिषद् द्वारा ''शिक्षा में लैंगिक अंतराल पाटना'' विषय पर आयोजित सत्र की भी अध्यक्ष रहीं। उन्होंने डी.ई.पी.एफ.ई. के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए ''बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति और महिला अध्ययन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. की भूमिका'' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, शहरी सुविधावंचित बच्चों और विकलांग बच्चों सहित सभी असुविधाग्रस्त समूहों की शिक्षा के विषय पर नियुक्त उपमिशन कार्यबल में एन.सी.ई.आर.टी. का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में ''नारी भ्रूण हत्या–समस्या का आलोचनात्मक आकलन और संभावित सुधारात्मक उपाय''; ''महिला सशक्तीकरण : परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां''; ''महिलाओं को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से दृश्यमान बनाना'' और ''भारत के समक्ष उपस्थित आर्थिक मुद्दों की पृष्ठभूमि में लैंगिक गतिशीलता और ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण'' जैसे विषयों पर शोधपत्र प्रस्तुत किए। 'परंपरागत और संक्रांतिक टी.वी.ई.टी. प्रणालियाँ' विषय पर उनका शोधपत्र यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय हस्तपुस्तक में प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के प्रकाशन ''मुक्त दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा : एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा'' के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने ''सूचना का अधिकार'' विषयक कार्यशाला, ''जननिक दृष्टि से रूपांतरित खाद्यों का विनियमन विषयक राष्ट्रीय परामर्श'' और ''खाद्य के लिए कृषि, पोषणिक सुरक्षा और ग्रामीण संवृद्धि विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' में भाग लिया।

डॉ. गौरी श्रीवास्तव, *रीडर* ने 'लिंग और शांति: 'सार्क' क्षेत्र में नीति, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें' विषय पर शोधकार्य का संचालन करने के लिए जून 2006 में जॉर्ज एकर्ट अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान संस्थान, ब्रौंशवे, जर्मनी का दौरा किया। उन्हें एशियन फोर्ड फाउंडेशन की ओर से एशियाई अध्येतावृत्ति (फैलोशिप) दी गई और उन्होंने उपर्युक्त विषय पर मालदीव में अनुसंधान संचालन के लिए जुलाई 2006 में बैंकाक में, उनके अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लिया। वे कक्षा VII के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक तैयार करने के कार्य से भी जुड़ी रहीं। वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित बालिका शिक्षा विषयक उस उप-समूह की सदस्य रहीं, जो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम तथा महिला समाख्या के संबंध में ग्यारहवीं योजना के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने 'एडुसैट' सुविधा का प्रयोग करते हुए, टेलीकान्फरेंसिंग के माध्यम से, 'एन.सी.एफ. 2005 के आलोक में, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे' विषय पर भिन्न-भिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की डी.आई.ई.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के अभिविन्यास कार्यक्रम में योगदान दिया। उन्होंने सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के कार्यक्रम में और दिल्ली की कुछ 'डाइट' संस्थाओं में 'लिंग और विद्यालयी शिक्षा' विषयक कार्यक्रम में भी योगदान दिया। उन्होंने 'एडुसैट' कार्यक्रम में भी भाग लिया जोकि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा एन.सी.एफ. (2005) के आलोक में शिक्षा में लैंगिक मुद्दे विषय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की डी.आई.ई.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के अभिविन्यास के लिए चलाया गया था।

डॉ. सुषमा जयरथ, *रीडर* ने अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए कार्यानुसंधान पर ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय किया और उसे पूरा कराया। उनके द्वारा 'आत्मनिर्भरता के लिए बालिकाओं का सशक्तीकरण : महिला उद्यमियों की सफलताओं की कुछ कहानियाँ'; ''भारत और विश्व की महिला आविष्कर्ताओं के उल्लेखनीय योगदान–बालिकाओं के लिए उदाहरणात्मक सामग्री''; और ''व्हाइ वूमेन बाल्क ऐट लारी समर्स: सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम फिगर्स'' विषयों पर तीन शोधपत्र एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए, जो 'महिलाएँ : विज्ञान और प्रौद्योगिकी' विषय पर बंगलौर विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र, बंगलौर द्वारा 21 से 24 अगस्त 2006 तक आयोजित की गई थी। इसके अलावा, उन्होंने ''लैंगिक परिप्रेक्ष्य से खेल और शारीरिक शिक्षा : प्रवृत्तियाँ और अभिवृत्तियाँ'' विषय पर एक निबंध एन.सी.ई.आर.टी. की पत्रिका 'जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, फरवरी 2006 में छपवाया। उन्होंने पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और गणित विषयों की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए समीक्षा कार्यशालाओं में भाग लिया और कक्षा IV के लिए पर्यावरण अध्ययन, कक्षा VII, X और XII के लिए गणित, कक्षा VII और X के लिए विज्ञान, कक्षा XII के लिए भौतिक विज्ञान, कक्षा XI और XII के लिए रसायन विज्ञान और कक्षा XII के लिए जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की लैंगिक परिप्रेक्ष्य से समीक्षा की। उन्होंने एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा एन.सी.एफ. (2005) के आलोक में शिक्षा में लैंगिक मुद्दे विषय पर भिन्न-भिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की 'डी.आई.ई.टी.' और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने, दिल्ली की डी.आई.ई.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं द्वारा दिल्ली के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में योगदान दिया और ''लिंग, समाजीकरण और कक्षागत प्रक्रियाएँ'' और ''प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए अध्यापन अधिगम सामग्री का विकास'' विषयों पर व्याख्यान दिए। उन्हें सामाजिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (सी.सी.आर.टी.), द्वारका, नई दिल्ली द्वारा 'लिंग और संस्कृति' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षकों तथा अध्यापकों को संबोधित करने के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया।

श्रीमती मिली रॉय आनंद, *वरिष्ठ व्याख्याता* ने 'भारत की महिलाएँ' शृंखला की परियोजना के अंतर्गत ''अपरंपरागत भूमिकाओं में महिलाएँ'' शीर्षक पाण्डुलिपि पर कार्य किया। विभिन्न अपरंपरागत व्यवसायों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली 35 महिलाओं के विवरण तैयार किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पुणे की महिला पुरोहितों के साथ एक दृश्य-श्रव्य साक्षात्कार तैयार किए गया। वे कक्षा VII की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठ्यपुस्तक विकास समिति की सदस्य भी रहीं और पाठ्यपुस्तक के लिए दृश्य अनुसंधान संचालित किया। वे ''भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं की वस्तुस्थिति'' के अध्ययन पर भी कार्य कर रही हैं। पहाड़ी आम लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभवों को समझना'' विषय पर, 'सोशल चेंज' पत्रिका के खंड 36, दिसंबर 2006 में ''शिक्षा प्रणाली में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं का समावेश : एक लंबा रास्ता आगे है'' विषय पर (डॉ. मोना यादव और मिली राय आनंद के सह-लेखकत्व में) लेख प्रकाशित कराए।

डॉ. मोना यादव, *वरिष्ठ व्याख्याता* ''भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं की वस्तुस्थिति के अध्ययन पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर छात्रों के आकलन के विषय पर तैयार की गई स्रोत पुस्तक में योगदान दिया। उन्होंने एन.सी.ई.आर.टी. के 'डी.

ई.पी.एफ.ई.' विभाग द्वारा ''अनुसूचित जाति के छात्रों के मनो-सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अध्यापकों के लिए तैयार किए जाने वाले विनिबंध (मोनोग्राफ) के विषयों तथा शिक्षण रणनीतियों के विकास में योगदान दिया। उन्होंने कक्षा XII की जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, कक्षा X और VII की विज्ञान और कक्षा VII की ही गणित की पाठ्यपुस्तकों की, लैंगिक अभिनति और लैंगिक रूढ़िबद्धता की दृष्टि से, समीक्षा की। ''शिक्षा में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं का समावेश: एक लंबा रास्ता आगे है'' विषय पर (मिली राय आनंद के साथ मिलकर) एक निबंध लिखा जो 'सेशल चेंज' पत्रिका के खंड 36, दिसंबर 2006 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा, एन.सी.एफ. (2005) के आलोक में शिक्षा में लैंगिक मुद्दे विषय पर टेलीकान्फरेंसिंग के माध्यम से भिन्न-भिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की 'डी.आई.ई.टी' और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान दिया।

सुश्री अनीता नूना, *व्याख्याता* ने ''गिरते हुए यौन अनुपात (नारी भ्रूण हत्या): चिंताएँ और रणनीतियाँ'' विषय पर एन.आई.ई. केंपस, नई दिल्ली में 28 फरवरी से 2 मार्च 2007 तक आयोजित तीन-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। वे ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा VI-VIII को पढ़ाने वाली अध्यापिकाओं की केस अध्ययन परियोजना पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने एन.यू.ई.पी.ए., नई दिल्ली द्वारा 5-7 फरवरी 2007 तक भारत में माध्यमिक शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा : मुद्दे और सरोकार विषय पर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने एच.आई.पी.ए., हरियाणा में संसाधन व्यक्ति के रूप में योगदान दिया और 'उच्चतर शिक्षा में लैंगिक अंतराल'; 'बाल अधिकार' और 'मानव अधिकार : शिक्षा और जागरूकता' विषयों पर व्याख्यान दिए। उन्होंने एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा एन.सी.एफ. (2005) के आलोक में शिक्षा में लैंगिक मुद्दे विषय पर भिन्न-भिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की डी.आई.ई.टी. और एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। वे ''नारी भ्रूण हत्या–समस्या का आलोचनात्मक आकलन और संभावित सुधारात्मक उपाय'' विषय पर एक शोधपत्र की सहलेखिका रहीं जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के महिला अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया।